

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- हनुमानसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र संख्या:- 44/2019

प्रार्थी:- मुन्नीलाल पुत्र श्री अमराराम, जाति-जाट, निवासी- गोदारो का बास डिगाडी कला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी:- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक:- 12-1-21

उपस्थिति:- श्री चैनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी  
सरकारी पैरोकार अप्रार्थी।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर बताया गया कि मौजा डिगाडी तहसील जोधपुर जिला जोधपुर में वह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में मुना दर्ज है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का सही का नाम मुन्नीलाल है, साक्ष्य के तौर पर स्वयं/पिता का उनके द्वारा आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक पेश किये गये हैं एवं निवेदन किया गया कि उसका/पिता का नाम मुन्नीलाल अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्धिकरण किया जावे।

पत्रावली पूर्व में दिनांक 12-1-21 को सुनवायी में तय की गयी। राज्य सरकार के पायलट प्रोजेक्ट DILRMP के तहत तहसील का रेकॉर्ड ऑनलाईन दर्ज किया जाना है। उक्त सार्वजनिक सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर अधिवक्तागण को सूचित किया गया एवं पत्रावली आज दिनांक को सुनवायी में रखी गयी।

भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर द्वारा जवाब पेश कर स्वीकार किया गया कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना-पत्र अनुसार स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना-पत्र व जवाब के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का नाम मुना मौजा डिगाडी तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 80 राजस्व रेकॉर्ड मुन्नीलाल अंकित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड नाम शुद्धि किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये जाते हैं।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 12-1-21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हनुमानसिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर (राज.)

